

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक KOTA, राजस्थान

क्रमांक: 480

दिनांक 02/09/2024

सचिव

प्रबंध समिति

NARAYANA ETECHNO SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 50648 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, NARAYANA ETECHNO SCHOOL पता RAWATBHATA ROAD ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR NIGAM Kota-South ब्लॉक KOTA(U)आसा पास (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) NA खसरा न. 52, 55, 58, 59को शैक्षिक सत्र 2024-25 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन होगी :-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
विद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर	
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाधता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटवाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(ii) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
(iii) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक KOTA , राजस्थान

- (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
- (V) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
8. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
13. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

21/08/24
जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा कोटा

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक KOTA , राजस्थान

21/08/24
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक
प्र. रम्भिक शिक्षा कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

21/08/24
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक
प्र. रम्भिक शिक्षा कोटा